


फर्द अहकाम
(विभाग 20)

अजय अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

रमेश चन्द पिता चतस्थुज रेगर वि. धुवाला
बनाम

अजिल पिता सालगराम गोणा वि. इन्दपुरा वनैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 431/2022

तारीख-हुजम	हुजम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अजय	गवर्नर व तारीख अहकाम जो हुजम की प्राणीय में जारी हुई
12-05-22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद लॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जारी अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धुवाला प. स. धुवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 861/14 कुल कित्ता 1 एकबा 0.8094 हैक्टैंगर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अपार्थीगण है। अपार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अपार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धुवाला प. स. धुवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 861/14 कुल कित्ता 1 एकबा 0.8094 हैक्टैंगर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु श्री अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर निशुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी भौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12-05-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	